Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI.:	2570301	2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

From,
Registrar
C.S.J.M. University, Kanpur

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं० सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 1028 / 2017 दिनांक : 09/05/2017

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांकः 09.05.2017) एवं कार्य परिषद से अनुमति की प्रत्याशा में **चौ० इंदल सिंह महाविद्यालय, लखइयामऊ, गुरसहायगंज, कन्नौज** को स्नातक स्तर पर **शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 50 (01 यूनिट)** सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **दिनांकः 01.07.2017** से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. **शैक्षिक सत्र 2016-17 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2017-18 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सत्र 2016-17 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2017-18 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
5. विश्वविद्यालय से अनुमोदित बी०एड० विभागाध्यक्ष/सहा०आचार्य को कार्यभार ग्रहण कराकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उन्हे बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु अर्ह शिक्षकों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। शिक्षण सत्र के दौरान आकस्मिक निरीक्षण के समय शिक्षकों की उपलब्धता एवं अन्य मानक पूर्ण न होने की स्थिति में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक् रूप से पूर्ण करेगी तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं एन०सी०टी०ई० रेगुलेशन 2014 द्वारा निर्धारित समस्त मानकों/शर्तो का अनुपालन करेगी।
8. **महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी०एड० प्रवेश परीक्षा/काउसिंलिंग, शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।**

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, चौ० इंदल सिंह महाविद्यालय, लखइयामऊ, गुरसहायगंज, कन्नौज।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा), छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. इन्चार्ज, ई०डी०पी०, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव